[4/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 2535]

परिशिष्ट "अ"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 2535
द्वारा माननीय विधायक सुश्री चन्दभागा किराडे

क्रमांक	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	अस्वीकृत आवेदन	लंबित आवेदन
1	बडवानी	2484	2296	120	237
2	धार	347	347	निरंक	निरंक
3	अलीराजपुर	1278	1246	32	निरंक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्र. एफ-56 595/2019/ए-16, भोपाल, दिनांक 29/06/19

प्रति

1. संभागायुक्त (समस्त)।
2. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर।
3. जिला कलेक्टर (समस्त)।
4. आयुक्त नगर निगम (समस्त)।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)।

विषय:-श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन के संबंध में।

----00----

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना एवं म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत लाभ कतिपय अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी उठाया जा रहा है एवं पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित रहे है, अतएव शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, एक अभियान चलाया जाकर अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जावे ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति ही योजना से लाभान्वित हो सके। वर्तमान में जिलावार निर्माण श्रमिक एवं संबल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों की जानकारी परिशिष्ट "C" और "D" में संलग्न है।

2/- म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यान हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार, वार्डवार पंजीकृत हितग्राहियों की सूची (सूची श्रम सेवा पोर्टल से प्रिंट ली जाकर) का डोर टू डोर सत्यापन कराया जावे। प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) में सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, सत्यापन कार्य करेंगे वे संबंधित पंचायत/वार्ड के नोडल अधिकारी होंगे।

3/- निर्धारित प्रपत्र (संलग्न "A" और "B") की गूगल शीट पर प्रतिदिन प्रविष्टि संबंधित निकाय स्तर से की जायेगी।

4/- प्रत्येक दिवस किए गए सत्यापन के उपरांत पाए गए अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही अगले दिवस को नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं पोर्टल पर भी अद्यतन करना होगी। इस हेतु संबंधित निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा योजना की पात्रता - अपात्रता के मापदण्डों/शर्तों/अर्हताओं इत्यादि के प्रपत्र तैयार कर सचिव/वार्ड प्रभारियों को दिए जावे, ताकि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया तत्काल की जा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल

5/- अभियान में सत्यापन के दौरान सूची में ऐसे पात्र हितग्राही जिनके आधार नं. उपलब्ध नहीं है उनके आधार नं. भी प्राप्त किए जाकर पोर्टल पर अद्यतन किए जाये।

जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय, जनपद स्तर/निकाय स्तर, पंचायत/वार्ड स्तर के नोडल की नियुक्ति की जावे एवं कंट्रोल रूम स्थापित किया जाकर प्रतिदिन के सत्यापन कार्य का अनुवीक्षण एवं जानकारी अद्यतन करवाई जावे।

"इस अभियान में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजनांतर्गत भी अपात्र पंजीकृत व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही इसी अवधि में की जावे।"

विभागीय श्रम निरीक्षक एवं श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की दैनिक निगरानी भी करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि विभाग के श्रम-सेवा पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टियाँ हैं।

उपर्युक्त अनुसार सत्यापन अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की अवधि में सम्पन्न किया जावे।

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

पृ.क्र. [illegible]/595/2019/ए-16, भोपाल, दिनांक [illegible]19

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय।
3. सचिव, म.प्र. शासन, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
4. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय।
5. सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास विभाग, मंत्रालय।
6. समस्त संभागयुक्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर की ओर राज्य स्तरीय नोडल होंगे, राज्य स्तर से समस्त जिलों का अनुवीक्षण किया जावे एवं जानकारी शासन को प्रेषित की जावे।
8. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
9. आयुक्त नगर निगम (समस्त)।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (समस्त)।
11. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सचिव, म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल